11/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हो। उभय-पक्ष उप.। बाद वादी सुना जा चुका है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो। नंबर से कमी हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/16

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं.– 40/22 GCMS:- 2022/16

प्रेमप्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड न0 03 भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।

–– वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. भोमाराम पुत्र लिछमन जाति मेघवाल फौत जरिये वारिस :–

2/1 लाधुराम पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तह0 सूरतगढ़।

2/2 मनीराम (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/2/1 रामकुमार
2/2/2 कानाराम
2/2/3 साहबराम
2/2/4 देवीलाल
2/2/5 सतपाल
} पुत्रगण मनीराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

2/3 साजन (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/3/1 काशीराम
2/3/2 जेठाराम
2/3/3 हेतराम
2/3/4 रणजीत
} पुत्रगण साजन जाति मेघवाल रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

2/4 श्योलाल (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/4/1 कृष्णलाल
2/4/2 पोखरराम
} पुत्रगण श्योलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

2/4/3 चेतराम पुत्र श्योलाल फौत जरिये वारिस :–

2/4/3/1 रामेश्वरी पत्नी
2/4/3/2 सुनिल पुत्र
2/4/3/3 रवि पुत्र
2/4/3/4 सरोज पुत्री
} चेतराम जाति मेघवाल साकिन न्यौला रामपुरा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्याः– 40 / 2022
प्रेमप्रकाश बनाम महेन्द्र आदि

2 / 4 / 4 भगवानाराम, 2 / 4 / 5 कुम्भाराम } पुत्रगण श्योलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तह0 सूरतगढ़।

2 / 5 भादरराम (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2 / 5 / 1 तेजाराम, 2 / 5 / 2 दुलाराम, 2 / 5 / 3 शंकरलाल, 2 / 5 / 4 मदनलाल } पुत्रगण भादरराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

3. मामकौरी (फौत) पत्नी तारूराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

3 / 1 उदाराम पुत्र मामकौरी पत्नी तारूराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3 / 2 रामलाल (फौत) जरिये वारिस –

3 / 2 / 1 रामस्वरूप, 3 / 2 / 2 रणजीत } पुत्रगण रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3 / 3 लालचन्द (फौत) जरिये वारिस –

3 / 3 / 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. रूकमा (फौत) पत्नी नारायण जरिये वारिस –

4 / 1 रजीराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

5. रजीराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6. रामलाल (फौत) पुत्र तारू जरिये वारिस –

6 / 1 रामस्वरूप, 6 / 2 रणजीत } पुत्रगण रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

दिनांक :– 11..12.2024

–ः निर्णय ः–

वाद पत्र अर्तगत धारा 53,88, 209,रा[illegible]कारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 3...... पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद संख्याः– 40/2022
प्रेमप्रकाश बनाम महेन्द्र आदि

उपस्थित :–1. श्री शिशापाल शर्मा अधिवक्ता :– वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम से चक 8 एन आर डी की जमाबंदी संवत 2076 ता 2078 के खाता नं0 32/27 के पत्थर नं0 99/313 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 25 में 2.277 है0 कमाण्ड रकबा में वादी का 13/207 हिस्सा यानि 0.143 है0 रकबा व शेष हिस्सानुसार रकबा प्रतिवादी नं 1 ता 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी जो प्रकरण रकबा का सह हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से के रकबा की अलग काश्त करता है। वादी व प्रतिवादीगण ने घरूबंटवारा कर रखा हैं व घरूबॅटवारा में वादी के हिस्से में इस चक के पत्थर नं0 99/313 के किला नं0 5/0.143 है0 (उतरी पासा, पूर्व से पश्चिम लम्बाई) रकबा आ गया व वादी इसी रकबा पर काश्त करता आ रहा है। इसी रकबा पर वादी ने तारबंदी करके अपने रकबा की अलग सीव बना रखी है, इसी रकबा को वादी ने सुधार कर काबिल काश्त किया है, शेष रकबा पर प्रतिवादीगण का हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है । वादी एव प्रतिवादीगण का रकबा शंयुक्त खाता मे होने से वादी को रकबा के संपरिवर्तन करवाने व रकबा की रकम व मालकाना जमा करवाने मे दिंक्क्त होती है । वादी ने कई बार प्रतिवादीगण को खाता विभाजन का कहा परन्तु वो सहमत नही हो रहे है अब दिनांक 04.02.2022 को प्रतिवादीगण को वादी ने मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन का कहा तो वो इन्कार हो गये, इसलिए इसी कारण से वादी को यह दावा पेश करता पड़ रहा है, इसलिए वादी का वाद स्वीकार कर वादी को चक 8 एन आर डी के पत्थर नं 99/313 के किला नं 5 में 0.143 है0 रकबा खाता विभाजन मे दिया जाकर प्रातिवादीगण से खाता विभाजन किया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को साधारण सम्मन .व रजिस्टर्ड सम्मन से तलव किया गया । प्रतिवादीगण को विधिवत तामील करवाई गई फिर भी प्रतिवादीगण बावजूद सुचना उपस्थित नहीं हुऐ इसलिए उनके खिलाफ एक तरफा कार्य [illegible] पेश नहीं किया इसलिए जबाव प्रतिवादीगण बन्द किया गया व दावा मे [illegible] नही होने से तनकीयात कायम नही किया गये व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत [illegible] । पत्रावाली में साक्ष्य वादी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 4...... पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी स्वयं ने पी.डब्ल्यू 1 व गिरधारीलाल के बयान पी.डब्ल्यू 2 करवाये गये व प्रतिवादीगण के कोई साक्ष्य पेश नही हूऐ । इसलिये पत्रावली मे वादी अधिवक्ता व पैरोकार राज की बहस सुनी गई .।

.... बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । दस्तावेजी साक्ष्य चालु जमाबन्दी की प्रमाणीत प्रति के अनुसार .वादी के नाम जैर प्रकरण शंयूक्त खाते के चक 8 एन आर डी के पत्थर न 99/313 के 2.277 है0 रकबा में 13/207 हिस्सा यानी 0.143 है0 रकबा खातेदारी है तथा इसी हिस्से के मुताबिक ही वादी का पत्थर न 99/313 के किला न 5 के 0.143 हैक उतरी पासा के रकबा पर कब्जा काश्त है तथा दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादी अपना दावा साबित करने में सफल रहा है। इसलिए वाद वादी स्वीकार कर वादी का मुताबिक कब्जा काश्त प्रतिवादीगण से वादी का खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है।

अत वाद वादी स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी के शयूक्त खाता के चक 8 एन आर डी की जमाबंदी संवत 2076 ता 2079 के खाता नं0 32/27 के पत्थर नं 99/313 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 25 के 2.277 है0 कमाण्ड रकबा में से वादी को उसके 13/207 हिस्सा के रकबा का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन मे वादी को चक 8 एन.आर.डी. के पत्थर न 99/313 (7) के किला न 5 मे से 0.143 हैक कमाण्ड (उतरी पासा मे पूर्व से पश्चिम लम्बाई मे) रकबा दिया जाकर प्रतिवादीगण से खाता विभाजन का आदेश` दिया जाता है। इसीनूसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होकर वादी के नाम अलग से रकम कायमी के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलासः–संदीपकुमार, आर.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

प्रेमप्रकाश पुत्र श्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड न0 03 भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0। —— वादी

बनाम

1 महेन्द्र कुमार पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 भोमाराम पुत्र लिछमन जाति मेघवाल फौत जरिये वारिस :–

2/1 लाधुराम पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तह0 सूरतगढ़।

2/2 मनीराम (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/2/1 रामकुमार
2/2/2 कानाराम
2/2/3 साहबराम
2/2/4 देवीलाल
2/2/5 सतपाल
} पुत्रगण मनीराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

2/3 साजन (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/3/1 काशीराम
2/3/2 जेठाराम
2/3/3 हेतराम
2/3/4 रणजीत
} पुत्रगण साजन जाति मेघवाल रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

2/4 श्योलाल (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/4/1 कृष्णलाल
2/4/2 पोखरराम
} पुत्रगण श्योलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

2/4/3 चेतराम पुत्र श्योलाल फौत जरिये वारिस :–

2/4/3/1 रामेश्वरी पत्नी
2/4/3/2 सुनिल पुत्र
2/4/3/3 रवि पुत्र
2/4/3/4 सरोज पुत्री
} चेतराम जाति मेघवाल साकिन न्यौला रामपुरा ... सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2..... पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्याः— 40/2022
प्रेमप्रकाश बनाम महेन्द्र आदि

2/4/4 भगवानाराम } पुत्रगण श्योलाल जाति मेघवाल
2/4/5 कुम्भाराम } निवासी रामपुरा न्यौला तह0 सूरतगढ़।

2/5 भादरराम (फौत) पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

2/5/1 तेजाराम
2/5/2 दुलाराम
2/5/3 शंकरलाल
2/5/4 मदनलाल
} पुत्रगण भादरराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

3 मामकौरी (फौत) पत्नी तारूराम जाति मेघवाल जरिये वारिस –

3/1 उदाराम पुत्र मामकौरी पत्नी तारूराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3/2 रामलाल (फौत) जरिये वारिस –

3/2/1 रामस्वरूप } पुत्रगण रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला
3/2/2 रणजीत } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3/3 लालचन्द (फौत) जरिये वारिस –

3/3/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4 रूकमा (फौत) पत्नी नारायण जरिये वारिस –

4/1 रजीराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़।

5 रजीराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल साकिन रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6 रामलाल (फौत) पुत्र तारू जरिये वारिस –

6/1 रामस्वरूप } पुत्रगण रामलाल जाति मेघवाल निवासी रामपुरा न्यौला
6/2 रणजीत } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज 3..... पर

वाद संख्या:– 40 / 2022
प्रेमप्रकाश बनाम महेन्द्र आदि

वाद पत्र धारा–53, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 40 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्रीं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी के शयूक्त खाता के चक 8 एन आर डी की जमाबंदी संवत 2076 ता 2079 के खाता नं0 32/27 के पत्थर नं 99/313 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 25 के 2.277 है0 कमाण्ड रकबा में से वादी को उसके 13/207 हिस्सा के रकबा का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन मे वादी को चक 8 एन.आर.डी. के पत्थर न 99/313 (7) के किला न 5 मे से 0.143 हैक्ट कमाण्ड (उतरी पासा,पूर्व से पश्चिम लम्बाई मे) रकबा दिया जाकर प्रतिवादीगण से खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है। इसीनूसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होकर वादी के नाम अलग से रकम कायमी के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह..... x... ...फस्दों की पालना..... x......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.12.2024.को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:54 IST
Reason: SelfAttested